न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी : कृष्णपालसिंह चौहान, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2019

दायर दिनांक–29.09.2019
निर्णय दिनांक–11.09.2020

श्री ईश्वरलाल पिता रणछोड पाटीदार निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर

.....निगरानीकर्ता

बनाम

श्री नाथुराम पिता लालजी पाटीदार निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर

....विपक्षी

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम

–

उपस्थित :–

1. श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक वास्ते निगरानीकर्ता
2. श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक वास्ते विपक्षी

आदेश

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम साकोदरा के द्वारा मौजा साकोदरा के खसरा नम्बर 1370/2 रकबा – 0.02 दो बिस्वा किस्म बिलानाम सडक में पत्रावली क्रमांक–3 पट्टा सख्या 3 दिनांक 21.02.2006 को अप्रार्थी श्री नाथुराम पिता लालजी पाटीदार निवासी साकोदरा के नाम से बापी पट्टा जारी कर दिया गया। उक्त भूमि में से प्रार्थी अपने निवास स्थान मकान में जाता है। विपक्षी एवं ग्राम पंचायत द्वारा छिपे तौर पर उक्त पट्टा अप्रार्थी के नाम से जारी कराने से प्रार्थी ने उक्त पट्टे को निरस्त कराने के लिए यह निगरानी/ प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रकरण इस न्यायालय में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को वास्ते जावाबदेही हेतु जरिये नोटीस के तलब किये गये एवं प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली तलब कराने हेतु ग्राम पंचायत साकोदरा एवं वि.अ. प.स. चिखली को लिखा गया।

अप्रार्थी न01 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी ओर से जवाब पेश करते हुए बताया है कि ग्राम पंचायत साकोदरा के द्वारा

विपक्षी के कब्जे की आबादी भूमि ख0 न0 1369 एवं 1370/1 पर बना परकोटे का पट्टा जारी किया है। ख0 न0 1369 एवं 1370/1 आबादी भूमि होकर इसके खातेदार अमरिया पिता गौतम एवं पूजा कचरिया चमार थे, जिस पर उनके मकान बने हुए थे। मकान पुराने थे विपक्षी ने अमरिया एवं पूंजा के बने हुए मकान खरीदे थे। मकान पुराने होकर खण्डहर अवस्था में हो चुके थे। विपक्षी में मकानो को गिराकर एक मकान अपने स्वंय का एवं एक मकान अपने भाई प्रार्थी के पिता रणछोडलाल का बनाया ओर इसी उक्त खसरा नम्बरान मे से ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त किया है। अप्रार्थी ने आराजी न0 1370/2 में कोइ पट्टा ग्राम पंचायत से प्राप्त नही किया है। प्रार्थी का यह कहना कि विपक्षी के पट्टे वाली भूमि में से होकर प्रार्थी अपने मकान में आता जाता रहता है। प्रार्थी एवं विपक्षी के मकान पास में पूर्व मूखी बने हुए है। दोनो के मकानों में आवागमन का रास्ता मकानों के पूर्व दिशा में है। प्रार्थी ने सडक की बिलानाम आ.न. 1370/2 पर ग्राम पंचायत साकोदरा से बिना स्वीकृति लिये चार दुकाने छः माह हुए बना ली है। सडक की भूमि पर प्रार्थी द्वारा बनाई गई दुकानें अवैध है। प्रार्थी ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त करना बता रहा है। लेकिन बिलानाम सडक की भूमि पर पट्टा जारी नही किया जा सकता है। न्यायहित में दोनो पक्षों के रेकार्ड की पत्रावली ग्राम पंचायत साकोदरा से तलब कराई जाना आवश्यक है अप्रार्थी के नाम से जारी पट्टा अवैध नही होकर वैध है। ग्राम पंचायत साकोदरा के द्वारा मौजा साकोदरा के ख0 न0 1370/2 किस्म बिलानाम सडक की भूमि का बापी पट्टा सन् 2006 में नियम विरूद्व प्रार्थी अथवा प्रार्थी के पिता श्री रणछोडलाल पिता लालजी के नाम से जारी किया गया है। बिलानाम सडक की भूमि का पट्टा जारी करना ग्राम पंचायत को कानूनन कोई अधिकार नही है। प्रार्थी की बिलानाम सडक की आ0 न0 1370/2 पर बनाई गई चारो दुकाने विध्वंश कराई जावे । अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित किया जावे साथ ही प्रार्थी के द्वारा बिलानाम सडक की आ. न. 1370/2 मे बनाई गयी चारो दुकाने विध्वंश कराने का आदेश प्रदान करावे।

पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस उभय पक्षो की समायत की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी ओर से बहस के दौरान बताया है कि ग्राम पंचायत साकोदरा के द्वारा मौजा साकोदरा के ख0 न01370/2 रकबा 0.02 दो बिस्वा किस्म बिलानाम सडक में से दिनांक 21.02.2006 को अप्रार्थी श्री नाथुराम पिता लालजी पाटीदार निवासी साकोदरा के नाम से बापी पट्टा सख्या 3 जारी किया गया है। इसी भूमि में से होकर प्रार्थी अपने मकान में आता –जाता रहता है। विपक्षी तथा ग्राम पंचायत के द्वारा छिपे तौर पर उक्त पट्टा जारी किया गया हैं जो पंचायती राज अधियनियम के विरूद्व है। बिलानाम सडक की भूमि का बापी पट्टा देने या नियमन करने का कोई प्रावधान नही है। उक्त पट्टे के आधार पर विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था जिस पर प्रार्थी द्वारा रोका गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा नियमों की पालना नही करते हुए पट्टा जारी किया गया है। अतः अप्रार्थी के नाम से जारी पट्टा संख्या 3 दिनांक 21.02.2006 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने अपनी ओर से बहस के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुए बताया है कि ग्राम पंचायत साकोदरा के द्वारा विपक्षी के कब्जे की आबादी भूमि ख0 न0 1369 एवं 1370/1 पर बना परकोटे का पट्टा जारी किया है। ख0 न0 1369 एवं 1370/1 आबादी भूमि होकर इसके खातेदार अमरिया पिता गौतम एवं पूजा कचरिया चमार थे, जिस पर उनके मकान बने हुए थे। मकान पुराने थे विपक्षी ने अमरिया एवं पूंजा मे बने हुए मकान खरीदे थे। मकान पुराने होकर खण्डहर अवस्था में हो चुके थे। विपक्षी में मकानो को गिराकर एवं मकान अपने स्वंय का एवं एक मकान अपने भाई प्रार्थी के पिता रणछोडलाल का बनाया ओर इसी उक्त खसरा नम्बरान मे से ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त किया है। अप्रार्थी ने आराजी न0 1370/2 में कोइ पट्टा ग्राम पंचायत से प्राप्त नही किया है। प्रार्थी का यह कहना कि विपक्षी के पट्टे वाली भूमि में से होकर प्रार्थी अपने मकान में आता जाता रहता है। प्रार्थी एवं विपक्षी के मकान पास में पूर्व मूखी बने हुए है। दोनो के मकानों में आवागमन का रास्ता मकानों के पूर्व दिशा में है। प्रार्थी ने सडक की बिलानाम आ.न. 1370/2 पर ग्राम पंचायत साकोदरा से बिना स्वीकृति लिये चार दुकाने छः माह हुए बना ली है। सडक की भूमि पर प्रार्थी द्वारा बनाई गई दुकानें अवैध है।

प्रार्थी ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त करना बता रहा है। लेकिन बिलानाम सडक की भूमि पर पट्टा जारी नही किया जा सकता है। न्यायाहित में दोनो पक्षों के रेकार्ड की पत्रावली ग्राम पंचायत साकोदरा से तलब कराई जाना आवश्यक है अप्रार्थी के नाम से जारी पट्टा अवैध नही होकर वैध है। ग्राम पंचायत साकोदरा के द्वारा मौजा साकोदरा के ख0 न0 1370/2 किस्म बिलानाम सडक की भूमि का बापी पट्टा सन् 2006 में नियम विरूद्व प्रार्थी अथवा प्रार्थी के पिता श्री रणछोडलाल पिता लालजी के नाम से जारी किया गया है। बिलानाम सडक की भूमि का पट्टा जारी करना ग्राम पंचायत को कानूनन कोई अधिकार नही है। प्रार्थी की बिलानाम सडक की आ0 न0 1370/2 पर बनाई गई चारो दुकाने विध्वंश कराई जावे । अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित किया जावे साथ ही प्रार्थी के द्वारा बिलानाम सडक की आ. न. 1370/2 बनाई गयी सडक चारो दुकाने विध्वंश कराने का आदेश प्रदान करावे।

ग्राम पंचायत साकोदरा के द्वारा पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजो को ध्यान पूर्वक अवलोकन करने पर एवं अभय पक्षों की ओर से अपनी ओर से दी गई दलीलो पर घोर से मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि :–

ग्राम पंचायत साकोदरा के द्वारा मौजा साकोदरा के ख0 न0 1370/2 रकबा 0.02 दो बिस्वा भूमि पर अप्रार्थी श्री नाथूराम पिता लालजी पाटीदार निवासी साकोदरा के नाम से दिनांक 21.2.2006 को जारी बापी पट्टा संख्या 03 से संबंधित रेकार्ड को तलब करने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति चिखली के पत्र क्रंमाक 252 दिनांक 01.09.2020 एवं उसके साथ संलग्न ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत साकोदरा के पत्र दिनांक 01.9.2020 एवं सरपंच ग्राम पंचायत साकोदरा के पत्र दिनांक 14.01.2019 के द्वारा यह बताया गया कि ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त पट्टा जारी नही किया गया है। एवं इससे संबंधित ग्राम पंचायत में कोई पत्रावली उपलब्ध नही है। साथ ही ग्राम पंचायत साकोदरा से प्राप्त पट्टा जारी करने की पंजिका का अवलोकन करने पर भी अप्रार्थी के नाम से उक्त पट्टा जारी करने का कोई उल्लेख इन्द्राज नही होना पाया गया ।

पत्रावली के साथ संलग्न बापी पट्टा संख्या 3 जो प्रस्तुत किया है उस पर सरपंच एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत साकोदरा के तथा अप्रार्थी श्री नाथुराम प्रार्थी के ही हस्ताक्षर है ग्राम पंचायत से प्राप्त सूचना एवं पंजिका के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है। सरपंच एवं सचिव ने ग्राम पंचायत की निर्धारित बैठक में उक्त पट्टा जारी करने का प्रस्ताव लिये बिना एवं कोरम की बिना स्वीकृति के एवं बिना बैठक पंजिका में ईन्द्राज किये ही पंजिका क्रमांक 3 दिनांक 21.2.2006 ईन्द्राज कर दिया गया जो राज0 पंचायती राज अधिनियमो के विपरीत है। अतः उपरोक्त पट्टा संख्या 03 दिनांक 21.02.2006 काबिले निरस्त है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर पत्रावली के साथ संलग्न पट्टा संख्या 03 दिनांक 21.2.2006 जो ग्राम पंचायत साकोदरा के द्वारा अवैधानिक रूप से जारी किया गया है। उसे निरस्त किया जाता है। साथ ही तहसीलदार चीखली को यह आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम चीखली के ख0 न0 1370/2 रकबा–0.02 दो बिस्वा भूमि जो राजस्व रेकार्ड साकोदरा की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 में किस्म बिलानाम सडक दर्ज है उसमें प्रार्थी या अप्रार्थी तथा अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर अवैधानिक रूप से निर्माण कार्य कर लिया गया हो तो उनके विरूद्व राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे। जिसके लिये आप अधिकृत एवं सक्षम है। साथ ही सरपंच एवं सचिव के द्वारा नियमो के विपरित अप्रार्थी श्री नाथुराम पाटीदार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरित अपनी मनमर्जी से अप्रार्थी को लाभ पहुंचाने पट्टा संख्या 03 बिना बैठक रजिस्टर मे इन्द्राज किये ही अपने स्वार्थ के लिए दिनांक 21.02.2006 को जारी कर दिया गया जो घोर अपराध की श्रेणी मे आता है अतः तत्कालिन सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत साकोदरा के विरूद्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद डूंगरपुर एवं विकास अधिकारी पचांयत समिति चिखली को लिखा जावें। निर्णयानुसार पालना करने हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार चीखली को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर